राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ईमेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक : एफ 55( )Engg./CE/DLB/ SBM/2020/ 6955-7167 दिनांक : 08/12/2020

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 11.09.2020 को विभागीय समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देशों की कियान्विति के क्रम में।

विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय समीक्षा में दिये गये निर्देशों की पालना में कार्यवाही के लिए विभागीय पत्रों के माध्यम से आपको पूर्व में निर्देशित किया गया है। पूर्व में दिये गये निर्देशों की निरन्तरता में निम्न कार्यवाही आपको सुनिश्चित की जानी है।

क्र.सं.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देश	निर्देशों की पालना में की गई/की जाने वाली कार्यवाही
3	स्थानीय नगर पालिका अथवा निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत् बाजारों में सार्वजनिक शौचालय आदि जनसुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जावें।	नगरीय निकायों द्वारा बाजारों में सार्वजनिक शौचालय आदि जन सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जानी है। **प्रपत्र 'अ'** में सूचना भरकर भिजवाई जानी है तथा उपलब्ध शौचालयों का रखरखाव साफ–सफाई की सुनिश्चिता की जावें।
5	प्रदेश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में सीवरेज के नालों और मैनहोल की सफाई के लिए सुपर सकर तथा जेटिंग मशीनें शीघ्र खरीदने के निर्देश दिए। राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाये की व्यक्ति को सीवर लाइन या मैनहोल में सफाई के लिए नहीं उतरना पड़े।	सीवर सफाई में आवश्यक मशीन/सुरक्षा उपकरणों की संख्या एवं उपलब्ध मशीनों के अलावा आवश्यक अतिरिक्त मशीनों/सुरक्षा उपकरणों की संख्या का निर्धारण करते हुये यह कार्य केवल मशीनों/सुरक्षा उपकरणों से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना है तथा **प्रपत्र 'ब'** में सूचना भरकर भिजवाई जानी है।
6	नगरीय क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु विशेष योजना बनाते हुए ऐसे नवाचारों पर कार्य किया जावें, जिससे राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर सके।	ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम 2016 की पालना तथा NGT द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण कार्यवाही तय समय सीमा में करते हुये तथा इन्दोर, अम्बीकापुर, डूंगरपुर द्वारा किये गये नवाचारों को अपनाकर राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का अग्रसर किये जाने के विशेष प्रयास/कार्ययोजना बनाकर भिजवाई जानी है।

अतः आपकों निर्देशित किया जा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में त्वरित कार्यवाही कर आपकी कार्ययोजना को निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससें आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट भिजवाई जा सकें।

संलग्न :– प्रपत्र 'अ' एवं 'ब'।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक : एफ 55( )Engg./CE/DLB/ SBM/2020/7168-179 दिनांक : 08/12/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड व ईमेल करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

प्रपत्र – 'अ'

नगर निकाय का नाम :–

क्र. सं.	बाजार का नाम व स्थान	उपलब्ध सार्वजनिक शौचालय / जन सुविधाओं की संख्या / सीट्स	वर्तमान में O&M की व्यवस्था	आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त शौचालय / जन सुविधाओं की संख्या / सीट्स	विशेष विवरण

हस्ताक्षर
आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पलिका

प्रपत्र – 'ब'

नगर निकाय का नाम :–

क्र.सं.	सीवर सक्शन मशीनों एवं सीवर जेटिंग मशीनों / सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता	आवश्यक सीवर मशीनों की संख्या	ARC पर क्रय की गई मशीनों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर
आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पलिका